न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1164 / 2024

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र रामकरण जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र शंकरलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. रूकमा पुत्री शंकरलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा
88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 06/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 113 / 137 की कुल 17.1080 हैक्ट भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि का फायदा उठाकर उक्त भूमि को रहन बैय किया जा रहा है अगर प्रतिवादी स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति वादी को होगी इसलिए वाद भूमि में वादी का जो भी हक हिस्सा है उसे वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद [illegible] गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री [illegible] की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा[illegible]के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद में समर्थन में नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि का फायदा उठाकर उक्त भूमि को रहन बैय किया जा रहा है अगर प्रतिवादी स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति वादी को होगी इसलिए वाद भूमि में वादी का जो भी हक हिस्सा है उसे वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की वादी द्वारा उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने बाबत यह वाद पेश किया गया है वादी का जो भी हक हिस्सा है वादी के नाम दर्ज किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीगण वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 113/137 की कुल 17.1080 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा न्यायालय में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 113/137 की कुल 17.1080 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1164/2024

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र रामकरण जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र शंकरलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. रूकमा पुत्री शंकरलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1164 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 113/137 की कुल 17.1080 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.13 14:14:09 IST
Reason: SelfAttested